

# छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक.....11/3/15

क्रमांक एफ 10-2/2015/16 :- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :-

सफाई कर्मकार के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना :-

1 योजना का प्रावधान :-

- 1.1 योजना का नाम "सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना" होगा।
- 1.2 परिवार की दो संतानों की सीमा के अध्याधीन रहते हुए पंजीकृत सफाई कर्मकारों की ऐसी समस्त पुत्र/पुत्री जिन्होंने निम्न लिखित परीक्षाओं में से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हों अथवा व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में अहर्ता प्राप्त कर संबंधित व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो।
- 1.3 प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लेखित "छात्रवृत्ति" राशि एक मुश्त देय होगी-

क्र०	कक्षावार विवरण	वार्षिक छात्रवृत्ति राशि	
		छात्र	छात्रा
i	कक्षा 1 से 5 तक	1,000	1,500
ii	कक्षा 6 वीं से 8 वीं	1,500	2,000
iii	9 वीं से 12 वीं	2,000	3,000
iv	स्नातक कक्षा जैसे बी०ए०/बी०एस०सी०/ डिप्लोमा आदि बी०कॉम/	5,000	6,000



v	स्नातकोत्तर कक्षा जैसे एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0कॉम0/स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि	7,000	8,000
vi	स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने पर	10,000	11,000
vii	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययन, पी0एच0डी0 या भोध कार्य करने पर	14,000	15,000

1.4 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

## 2 योजना हेतु पात्रता :-

- 2.1 पंजीकृत सफाई कर्मकारों के अध्ययनरत दो पुत्र/पुत्रियों को उपरोक्त तालिका अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी।
- 2.2 यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात् इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम एक वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी, एक वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी।
- 2.3 ऐसा छात्र/छात्रा यदि अन्य शासकीय विभाग/संस्था की किसी योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो वह किसी एक योजना का चयन कर सकता है, जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति में वह दो योजनाओं का एक साथ लाभ नहीं उठा सकता है।



3 योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

योजना के अंतर्गत सफाई कर्मकारों के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के संस्था प्रमुख/प्राचार्य से सत्यापन कर प्रस्तुत करेगा।


4 भुगतान की प्रक्रिया :-

संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि पात्र छात्रों के उनके स्वयं के खाते में अथवा उनके माता-पिता के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

5 विसंगति का निराकरण-

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा  
आदेशानुसार

  
(याकुब खेस्स)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग


नया रायपुर, दिनांक 11/3/15

पृष्ठांकन क्रं. एफ 10-2/2015/16

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)

4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी.....  
.....(छ0ग0)
9. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .....  
.....(छ0ग0)
10. उप संचालक भासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
उप सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग